

**बिहार स्टेट माइक्रोफिनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हाईवे रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax: 0612-2215994

(Email=minicorporatna@gmail.com, website:www.bsmfc.org)

संख्या: 1239/18 वीं एस.एम.एफ.सी. /

पटना

दिनांक: 7/8/18

**स्वीकृतदेश**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के राण संख्या-909 दिनांक-11.04.2017 (पू-68/40) में वर्णित 15 डेढ़ी में राज्य सम्पत्तिगत मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार रक्षण योजना-2017 दिनांक-07.02.2017 से 09.02.2017 तक आयोजित बिना स्वीकृत वचन सम्पत्ति में वर्णित आवेदकों में से निम्नलिखित आवेदकों से प्रमुखसंख्यक प्रथमो द्वारा दरभंगा जिला के जेडिईन कर्माचोक/दरभंगा निष्पत्ति कसकर उनके द्वारा स्थल जाँच कर सम्पत्ति किचे गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में रक्षण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुरोध के आधार पर कुल 03 लघुकों को उनके नाम के सामने ऑफिस डेढ़ में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्याई गए रक्षण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 1531 दिनांक 18.05.2016 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से रक्षण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निर्देश के आलोक में स्वीकृत रक्षण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के परवर्तनीय शुरु भुगतान के समय में दर्याई गये राशि सीधे सम्बन्धित लघुक के आधार काड आखिरत बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

Sl. No.	वयन	सूची	क.सं.	Appl Name / F/H Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Processing Charge Less 0.5%	Net Payable Amount
1.	27	MD TAMANNA, S/o- MD SUKHI, VIII+ Block + PO-BENIPUR, PS-BEHERA, Distt.-DARBHANGA - 847103	A/C No.:- 32964257192	READY MADE	300000	1500	298500		
2.	44	MD RAJE, S/o- CHHOTAKAN, VIII+ PS + PO-JAMALPUR, Block-KIRATPUR, Distt.-DARBHANGA - 847203	A/C No.:- 639900100110923	READY MADE	300000	1500	298500		
3.	45	MD SAMIR ALAM, S/o- SHAFIUR RAHAMAN, VIII.-FAKIRA KHAN, PS-LAHAERIASARAI, PO-LAL BAG, Block + Distt.-DARBHANGA-846004	A/C No.:- 4649000100019105	READY MADE	200000	1000	199000		
<b>TOTAL</b>							<b>800000</b>	<b>4000</b>	<b>796000</b>

स्वीकृत रक्षण राशि में वर्णित डेढ़ में लघुकर्मी द्वारा परिसम्पत्ति/साधनियों का कथ 30 दिनों के अन्दर में निवेदन रूप से कर दिया जाता है तथा रक्षण से सुविधा की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा कथ की गयी साधनियों की धार्तिक जाँच कर प्रमुखसंख्यक कार्यालय के प्रथमो द्वारा प्रतिवेदन सम्पत्ति किया जायगा। उक्त स्वीकृत रक्षण को अल्पसंख्यक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान धार्मिक किस्में अथवा 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

प्रतिनिधि: जिला अल्पसंख्यक कल्याण प्रदाधिकारी, दरभंगा/सथी अल्पसंख्यक/रक्षण राशि/रक्षण राशि (कम्प्लैट सेल) /

संख्या: 1239

दिनांक: 7/8/18

प्रमुखसंख्यक प्रथमो

प्रथमो प्रदाधिकारी

सचिव

प्रमुखसंख्यक प्रथमो